

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/18/2011-अ.भा.से.-1

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 10 जुलाई, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान और हरियाणा की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री शरणदीप कौर बरार, भा.प्र. से. (राजस्थान : 09) को, श्री अश्विन, भा.पु.से. (हरियाणा : 06) के साथ विवाह होने के आधार पर, राजस्थान संवर्ग से हरियाणा संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।

(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)